न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – रणजीतसिंह गोदारा

आवेदनपत्र संख्या....../2013
(पुराना 107/2008)
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती सीतादेवी आयु लगभग 70 वर्ष धर्मपत्नी प्रेमनाथ, अरोड़ा, धींगड़ा स्ट्रीट, वार्ड नम्बर 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
2. अरविन्द,
3. सन्दीप,
4. अनिल एवं
5. राजेश आत्मजन स्व. श्री प्रेमनाथ, अरोड़ा, धींगड़ा स्ट्रीट, वार्ड नम्बर 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

.......आवेदकगण

बनाम

मोहनसिंह आत्मज श्री ज्ञानसिंह, तरखानसिख, कोठा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.......अनावेदक

उपस्थिति– श्री दिनेश छाबड़ा (आवेदक)
श्री सुरेश अरोड़ा (अनावेदकगण)

दिनांक 27 मई, 2013

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक नम्बर 1 बी बड़ी मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, 18 से 23 के कुल 12.00 बीघा प्रेमनाथ एवं उनके तीन भाईयों सर्वश्री रतनलाल, सोमनाथ एवं सुशीलकुमार को उनके पिता श्री रामनारायण से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई जिसमें प्रेमनाथ का 1/4 हिस्सा अर्थात 03.00 बीघा हक व हिस्सा रहा है. जिसकी बाबत घरू बंटवारा में किला नम्बर 1, 10 व 11 कुल 3.00 बीघा प्रेमनाथ के हिस्सा में आया. मुरब्बा नम्बर 58 पूर्व में मुरब्बा नम्बर 60 था जो परिवर्तित होकर मुरब्बा नम्बर 58 दर्ज हुआ है. आवेदकगण के पति एवं पिता स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ ने अपने पिता श्री रामनारायण से उत्तराधिकार में प्राप्त चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर स्थित मुरब्बा नम्बर पुराना 60 नया 58 के किला नम्बर 1, 10, 11 कुल 3.00 बीघा को पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 07 जुलाई, 1980 द्वारा अनावेदक को विक्रय कर दी गयी. चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1 से 25 स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ आत्मज श्री रामनारायण की खातेदारी भूमि रही है जिसमें से किला नम्बर 2 से 9, 12 व 13(0.10) कुल 9.10 बीघा स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ द्वारा अपने जीवनकाल में ही पंजीबद्व इच्छा विलेख द्वारा अपने भाई की पत्नी श्रीमती सरोजरानी धर्मपत्नी श्री रतनलाल को अन्तरित कर दी गयी. जिसका श्रीमती सरोजरानी के नाम पर नामान्तरकण संख्या 291 दिनांक 04 जनवरी, 2008 को दर्ज किया जा चुका है. चक नम्बर 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1,10,11,13(0.10), 14 ता 25 कुल 15.10 बीघा कृषि भूमि के आवेदकगण बतौर उत्तराधिकारी खातेदार हुऐ. अनावेदक अत्यन्त होशियार एवं चालाक प्रवृति का होने के कारण राजस्व अधिकारियों से साज बाज कर आवेदकगण अथवा श्री प्रेमनारथ को बिना कोई सूचना दिये चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1,10,11 कुल 3.00 बीघा का इन्तकाल राजस्व अभियान दिनांक 28 जून, 2000 को अपने नाम से एकपक्षीय करवा लिया. जबकि वर्णित 3.00 बीघा का विक्रय स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ अथवा आवेदकगण द्वारा कभी भी विक्रय नहीं किया गया. स्व. श्री प्रेमनाथके भाई श्री सोमनाथ आत्मज श्री रामनारायण द्वारा अपने पिता से विरासतन प्राप्त कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 60/58 किलानम्बर

कलक्टर एवं
... दण्डनायक
...नगर (राज.)

12 कुल 3.00 बीघा को द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 1 के भाई श्री ...रसिंह आत्मज श्री ज्ञानसिंह को किया जा चुका है जिसके द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रमाणित तथ्य है कि मुरब्बा नम्बर 60/58 के 3.00 बीघा का बेचान किया गया था इसलिये अनावेदक मु.न. 58 के 3.00 बीघा का नामान्तरकरण करवाने का अधिकारी था जिसके द्वारा मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10, 11 कुल 3.00 बीघा वाके चक नम्बर 1 बी बड़ी का विधि विरूद्व नामान्तरकरण अपने नाम पर करवा लिया गया है जिसे निरस्त किया जाना अपेक्षित है. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10, 11 कुल 3.00 बीघा में अनावेदक द्वारा बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बावत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में पानी की पर्ची दिनांक 16 मई, 2007, जमाबन्दी सम्बत् 2064–2067, विक्रय विलेख दिनांक 20 फरवरी, 1981, नामान्तरकण पंजिका चक 1 बी बड़ी, गिरदवरी, विक्रय विलेख दिनांक 09 फरवरी, 1981, पटवारी हल्का की दैनिक डायरी की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से जवाब आवेदपत्र दिनांक 07 जनवरी, 2009 प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण प्रेमनाथ की सहमति से दर्ज किया गया है मुरब्ब नम्बर 60/58 के किला नम्बर 2, 9 एवं 12 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि का विक्रय कतरसिंह को किया गया था जिससे अनावेदक का कोई लेना देना नहीं है. प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा एवं पानी की पर्ची अनावेदक के नाम पर चली आ रही है. आवेदकगण से श्री प्रेमनाथ के वारिसान होने, प्रश्नगत भूमि के विक्रय करने के अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करवाये जावे. इस प्रकार विचाराधीन आवेदकपत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं क्रमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

आदेश दिया जाता है कि, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10, 11 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों की स्थिति यथावत कायम रखी जावे.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 27 मई, 2013 को सुनाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner